

जोधपुर  
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
जोधपुर

क्रमांक : जोडि/प्र.नि./मु.अ. (सी. एण्ड पी.)/अ.अ. (आर.ए. एवं सी)/का० /प्रे० 2003 दिनांक 6.1.09

आदेश

विषय:- ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत "मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना" की क्रियान्विति के संबंध में आवेदन स्वीकार करने की समयावधि बढ़ाने के क्रम में।

\*\*\*\*\*

"मुख्यमंत्री सबके लिये विद्युत योजना" की क्रियान्विति के लिए निगम ने आदेश क्रमांक 326 दिनांक 03.05.08 (वाणिज्य - जोधपुर डिस्कॉम/435) द्वारा दिशा निर्देश जारी किये थे। तत्पश्चात समय समय पर इनमें विभिन्न आदेशानुसार संशोधन जारी किये गये थे। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 30 जून 2008 तक की समयावधि लागू थी। इस समयावधि को समय समय पर बढ़ाया जाता रहा था तथा अंतिम आदेश क्रमांक 1286 दिनांक 16.09.08 (वाणिज्य - जोधपुर डिस्कॉम/449) द्वारा उक्त समयावधि को 31 अक्टूबर 08 तक बढ़ाया गया था।

इस विषय पर विचार विमर्श कर "मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना" के अन्तर्गत आवेदन स्वीकार करने की तिथि को 31 मार्च 2009 तक बढ़ाई जाती है।

आज्ञा से

(एम.एस.फगेरिया)  
मुख्य अभियन्ता (सी एण्ड पी.)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

पेज 02 का 01